Continuation Note Sheet

12.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओं, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचार किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी में डिगी का निर्माण किया जा चुका है। अप्रार्थीया संख्या 1 प्रश्नगत आराजी की खातेदार काश्तकार है जिसके अपनी खातेदारी भूमि में सुधान एवं खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस यह रही कि प्रश्नगत आराजी संयुक्त खाते की आराजी है जिसमें प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान कब्जा है और अप्रार्थीया बिना खाता विभाजन करवाये भूमि में डिगी का निर्माण नहीं कर सकती। इस पर न्यायालय का विनम्र मत यह है कि यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईंच पर समान कब्जा होने की अवधारणा की जाती है। परन्तु वाद में सहखातेदार संयुक्त खाते के आराजी में भूमि विशेष पर ही काबिज होता है। उसे उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अगर खाता विभाजन में विवादित आराजी किसी अन्य सहखातेदार के हिस्से में निर्णित होती है तो अप्रार्थीया उसे देने हेतु बाध्य रहेगी। अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा सहायक निदेशक श्रीगंगानगर से डिगी बनाने की स्वीकृत प्राप्त करके ही डिगी का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही अप्रार्थीया द्वारा संयुक्त खाते की आराजी जरिए बैयनामा प्राप्त की है। वरवक्त बैयनामा कब्जा भी प्राप्त किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन इसके पक्ष में निर्णित किया जाता है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है तो अप्रार्थीया संख्या 1 के खातेदारी अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगें। अधिवक्ता प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने पर प्रार्थीगण को किस प्रकार अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में निर्णित होने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 02.03.2022 खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद संख्या 2022/019 अनवान जोतराम व अन्य बनाम कलावती व अन्य रहे।

उम्मेद सिंह रतनू
(R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर